राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :–महेन्द्र सिहं यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 2024	14.12.2022	04.12.2024

उनवान

1.मोहनलाल पुत्र हेतराम जाति खटीक निवासी नीमराना तहसील नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

प्रार्थी

बनाम

2.लैण्ड होल्डर जरिय तहसीलदार नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अंतर्गत धारा 128, 111 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः

1.श्री मकर ध्वज शर्मा–प्रार्थी

2.पैराकार सरकार– अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक 04.12.2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व परौकार सरकार उपस्थित आये। मिन प्रार्थी कब्जा काश्त खातेदारी की हाल आराजी खसरा नम्बर हाल 240 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपुतली–बहरोड राज0 में स्थित है। जिसकी प्रार्थी मालिक खातेदारी काबिज है जिस आराजी की सीमाज्ञान पैमाईश दिनाक 25.04.2022 को तहसीदार साहब, नीमराना के आदेशानुसार पटवार हल्का द्वारा की गई। सीमाज्ञान पमाईश की प्रति संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार हाजरी अदालत आए एवं जवाब की आवश्यकता नही है का कथन करते हुए सहमती स्परूप अपने हस्ताक्षर किये।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई । दौराने बहसवकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पैमाईश सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 25.04.2022 के पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रर्थीगण की प्रर्थना पत्र बाबत बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल ख.नं 240 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ की पुख्ता पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25.04.2022के किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार, नीमराना को उक्त निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(महेन्द्र सिहं यादव)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)